उत्तर प्रदेश शासन
समाज कल्याण अनुभाग-1
संख्या-19/2830/26-1-2013-सक-1
लखनऊ: दिनांक: 30 अक्टूबर, 2013
कार्यालय-ज्ञाप

श्री परितोष कुमार,जिला समाज कल्याण अधिकारी, फिरोजाबाद को जनपद झॉसी की तैनाती अवधि में वर्ष 2009-10 व 2010-11 में बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झॉसी में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को दशमोत्तर शुल्क प्रतिपूर्ति/क्षतिपूर्ति वितरण तथा अन्य शैक्षणिक संस्थाओं को अनियमित/फर्जी छात्रवृत्ति भुगतान करने संबंधी गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1764/26-1-2012-4(12)/2012, दिनांक 24-07-2012 द्वारा निलम्बित करते हुए अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी तथा अपर आयुक्त (प्रशासन), झॉसी मण्डल, झॉसी को जॉच अधिकारी नियुक्त किया गया। प्रश्नगत अनुशासनिक कार्यवाही में श्री परितोष कुमार द्वारा जॉच अधिकारी को सहयोग किया जा रहा है। जॉच अधिकारी से अभी तक जॉच आख्या प्रतीक्षित है।

2- उक्त के अतिरिक्त सी0बी0आई0 जॉच रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1998-99 में जनपद इलाहाबाद की तैनाती अवधि में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के छात्रों की छात्रवृत्ति अस्तित्वहीन विद्यालयों को भेजकर बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों से दुरभिसंधि करके फर्जी व्यक्तियों के नाम से खाता खुलवाकर शासकीय धनराशि रू0 10,49,700/- के व्यपहरण/गबन के आपराधिक षडयंत्र में शामिल होने के प्रकरण में दर्ज केस संख्या-आर0सी0-0062009ए0005 उ0प्र0 राज्य बनाम राजेश कुमार गुप्ता, तत्कालीन शाखा प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बमरौली, इलाहाबाद में श्री परितोष कुमार, तत्कालीन जिला समाज कल्याण अधिकारी, इलाहाबाद के विरूद्ध शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-767/26-1-2011-4(4)/2010, दिनांक 21-02-2011 द्वारा सक्षम न्यायालय में अभियोग चलाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रश्नगत प्रकरण में श्री परितोष कुमार दिनांक 31-05-2012 से कारागार में निरूद्ध हुए। फलस्वरूप उन्हें 48 घण्टे से अधिक कारागार में निरूद्ध होने के कारण उन्हें शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2733/26-1-2012-सक-1, दिनांक 24-09-2012 द्वारा उन्हें दिनांक 31-05-2012 (कारागार में निरूद्ध होने की तिथि) से निलम्बित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में श्री परितोष कुमार के विरूद्ध मा0 न्यायालय में चार्जशीट दाखिल है तथा संगत साक्ष्य के अभाव में उनके विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही/आरोप पत्र नहीं दिया जा सका है।

3- अत: सम्यक् विचारोपरान्त श्री परितोष कुमार, जिला समाज कल्याण अधिकारी के निलम्बन आदेश दिनांक 24-07-2012 एवं 24-09-2012 को समाप्त कर सेवा में बहाल करते हुए समाज कल्याण निदेशालय (मुख्यालय, लखनऊ) में तैनात किया जाता है। श्री परितोष कुमार के विरूद्ध कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-07-2012 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही यथावत् प्रचलित रहेगी।

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव।

पृ0सं0-19/2830(1)/26-1-2013-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
3- अपर आयुक्त (प्रशासन)/जॉच अधिकारी, झॉसी मण्डल, झॉसी।
4- जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, फिरोजाबाद/लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी(श्री परितोष कुमार), द्वारा निदेशक, समाज कल्याण, उ0प्र0, लखनऊ।
5- संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली में रक्षित करने हेतु।
6- गार्ड फाइल/जॉच रजिस्टर।

आज्ञा से,

(राज कुमार त्रिवेदी)
अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in